न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 146/2014

वादी :-

1. भैरूसिंह पुत्र जोगसिंह
   कौम-राजपूत, निवासी-कुडकी,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अनाइसिंह वल्द जोगसिंह
   के कायम मुकाम :-
   1/1 नारायणसिंह पुत्र अनाइसिंह
   1/2 लक्ष्मणसिह पुत्र अनाइसिंह
   1/3 किशनसिंह पुत्र अनाइसिंह
   1/4 जगत्राथकंवर पत्नी अनाइसिंह
   जातियान-राजपूत, निवासीगण-कुडकी
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
2. शाखा प्रबन्धक एमजीबी-लाम्बिया
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी
   जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 15/07/2014

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 08/07/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-कुडकी, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 754, 755 कुल 2 कुल रकबा 47-15 बीघा लगान 23.81 किस्म गै.मु. बेरा व बारानी अव्वल की आई हुई हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी भैरूसिंह का 1/2वां हिस्सा की भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है व 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत चार रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण सं. एक से चार को विरासत में उनके स्व0 पिता अनाडसिंह पुत्र जोगसिंह जाति-राजपूत से फौतदगी म्यूटेशन सं. 1029 के जरिए उतराधिकार में प्राप्त हुई , म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है जिस वाद का एक भाग माना जावें। तब से प्रतिवादीगण सं. 1व 4 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त कृषि की जमाबंदी खतौनी मय नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतियां वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। उक्त कृषि भूमि को वाद में आगे विवादित कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा। वादी भेरूसिंह व प्रतिवादीगण सं0 एक से चार के पिता व पति अनाडसिंह दोनो सगे भाई थे व विवादित भूमि में प्रतिवादीगण के पिता व पति अनाडसिंह वल्द जोगसिंह राजपूत 1/2 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार थे व 1/2 हिस्से की भूमि के वादी भेरुसिंह रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खतौनी सम्वत 2024-2027, जमाबंदी खतौनी संवत 2036-2039,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जमाबंदी खतौनी संवत 2041-2044, जमाबंदी खतौनी संवत 2049 -2052 जमाबंदी खतौनी संवत 2053-2056 में इन्द्राज है। उक्त जमाबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रतियां वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। तत्पश्चात अनाडसिंह वल्द जोगसिंह राजपूत के देहान्त होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन प्रतिवादीगण सं. एक से चार का नाम जमाबदी खतौनी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। मगर हल्का पटवारी-कुडकी ने स्व0 अनाडसिंह जी के के फौतेदगी म्यूटेशन में 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण सं. एक से चार व 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार वादी भेरुसिंह होने का इन्द्राज नही किया गया, जमाबंदी खतौनी संवत 2056 -2060, जमाबंदी खतौनी 2061-2064 जमाबंदी खतौनी संवत 2065-2068 व जमाबंदी खतौनी संवत 2069-2072 में विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. एक से चार का हिस्सा इन्द्राज नही होने के कारण प्रतिवादीगण सं. एक से चार की नियत खराब हो गयी, व राजस्व रेकर्ड में हिस्से का इन्द्राज नहीं होने से वादी का 1/5 हिस्सा मानकर किसी अन्य को बैचान, खुर्दबुर्द रहन रखने पर आमादा हैं। जबकि उक्त विवादित भूमि पर वादी भैरुसिंह 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है व राजस्व रेकर्ड में वादी का 1/2 हिस्से का इन्द्राज नहीं होने से प्रतिवादीगण उसका नाजायज फायदा उठाने पर आमादा हैं इसलिए वादी भैरुसिंह विवादित भूमि में 1/2 हिस्से का इन्द्राज दर्ज करवाने के अधिकारी है। इसलिए दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश हैं। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 का हिस्सा इन्द्राज नहीं होने से रोंग एन्ट्री का फायदा उठाकर विवादित भूमि को किसी अजनबी व्यक्तियों का बैचान, खुर्दबुर्द करने रहन रखने व किसी प्रकार से मुन्तकिल करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण सं0 एक से चार ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादीगण सं. एक से चार द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। वादी प्रतिवादीगण को ऐसा हरगीज नहीं करने देगा, ऐसा होने पर मौके पर टण्टा फसाद होगा। वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध बार-बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेगें। जिससे विविध मुकदमेंबाजी होगी तथा मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स होगी, जिससे विविध मुकदमें बाजी होगी, वादी को होने वाली क्षति का मूल्यांकन रुपयों पेसो मे नहीं किया जा सकता हैं। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी सं. तीन किशनसिंह का हिस्सा प्रतिवादी सं. पांच के पास रहन होने कारण प्रतिवादी स0 पांच को इस वाद में पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। प्रतिवादीगण सं0 एक से चार का राजस्व रेकर्ड में हिस्से इन्द्राज होने के नाते प्रतिवादीगण सं0 एक से चार विवादित आराजी को किसी अन्य को बैचान, खुर्दबुर्द रहन रखने व मुन्तकिल करने पर आमादा हैं। जिन्हे रुकवाने हेतु प्रतिवादीगण सं. छः को आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। इसलिए वादी का वाद प्रकृति का होने से प्रतिवादीगण सं0 छः को धारा 80(1) सीपीसी का नोटिस दिये बगैर धारा 80(2) सीपीसी के तहत न्यायालय की बाद अनुमति वाद पेश किया जा रहा है तथा धारा 80(2) सीपीसी का अलग से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र वाद के साथ पेश किया जा रहा हैं। बिनायदावा दिनांक 22/06/2014 को प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 द्वारा वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने व राजस्व रेकर्ड में हिस्से का इन्द्राज नहीं होने के आधार पर किसी अन्य को भूमि का बैचान करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-कुडकी, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद हक

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अख्तार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने तथा वादी की भूमि के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 08/12/2014 को की गई।

पत्रावली आज दिनांक 08/07/2015 राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - कुड़की में मुकर्रर होकर पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से ई0ज0दा0 पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। प्रति0 की ओर से जबाबदावा पेश करना नहीं चाहते हैं, लिहाजा प्रति0 का जबाबदावा बन्द किया गया। चूँकि वादी विवादित भूमि के स्वयं राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी 2069-2072 अनुसार खातेदार काश्तकार होना बखूबी साबित हैं, जिससे वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। लिहाजा तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाकर विभाजन प्रस्ताव/बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने उभय पक्षकारानों का जरिए राजीनामा फर्द मौका मय नजरी नक्शा उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों मे बंटवाड़ा करके विभाजन / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उक्त बंटवाड़ा / विभाजन पर वादी तथा प्रति0 संख्या 1 ने राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकारोक्ति दी हैं अर्थात् कोई आपति नहीं कर राजीनामा / सहमति अंकित कर हस्ताक्षर अंकित किये हैं। लिहाजा माफिक सहमति राजीनामा बंटवाड़ा रिपोर्ट फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08/07/2015 वाद वादी डिक्री किया जाना तथा वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाना हम उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-कुडकी, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 754, 755 कुल 2 कुल रकबा 47-15 बीघा लगान 23.81 किस्म गै.मु. बेरा व बारानी अव्वल भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	नारायणसिंह लक्ष्मणसिंह किशनसिंह पि0 अनाइसिंह जगन्नाथकंवर पत्नि अनाइसिंह कौम-राजपूत, सा0 देह खातेदार। रहन-किशनसिंह का हि. एमजीबी शाखा-लाम्बिया।	755/1 755/3	11-17-00 11-16-00	बा0अ0 बा0अ0
योग		2	23-13-00	बा0अ0
2	भैरूसिंह पुत्र जोगसिंह कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार।	755 755/2	11-17-00 11-16-00	बा0अ0 बा0अ0
योग		2	23-13-00	बा0अ0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

3	नारायणसिंह लक्ष्मणसिंह किशनसिंह पि0 अनाइसिंह जगन्नाथकंवर पत्नि अनाइसिंह कौम–राजपूत, भैरूसिंह पुत्र जोगसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार। रहन–बदस्तूर रहेगा।	755/4 754	0-06-00 0-03-00	रास्ता गै.मु.बेरा
	योग	2	0-09-00	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया गया। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–कुड़की पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. भैरूसिंह पुत्र जोगसिंह
   कौम-राजपूत, निवासी-कुडकी,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. अनाइसिंह वल्द जोगसिंह
   के कायम मुकाम :-
   1/1 नारायणसिंह पुत्र अनाइसिंह
   1/2 लक्ष्मणसिह पुत्र अनाइसिंह
   1/3 किशनसिंह पुत्र अनाइसिंह
   1/4 जगत्राथकंवर पत्नी अनाइसिंह
   जातियान-राजपूत, निवासीगण-कुडकी
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
2. शाखा प्रबन्धक एमजीबी-लाम्बिया
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी
   जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली

मु0न0 :रा0वा0 स0:146/2014

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मय वादी उप0 मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-कुडकी, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 754, 755 कुल 2 कुल रकबा 47-15 बीघा लगान 23.81 किस्म गै. मु. बेरा व वारानी अव्वल भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	नारायणसिंह लक्ष्मणसिंह किशनसिंह पि0 अनाइसिंह जगन्नाथकंवर पत्नि अनाइसिंह कौम-राजपूत, सा0 देह खातेदार। रहन-किशनसिंह का हि. एमजीबी शाखा-लाम्बिया।	755/1 755/3	11-17-00 11-16-00	बा0अ0 बा0अ0
योग		2	23-13-00	बा0अ0
2	भैरूसिंह पुत्र जोगसिंह कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार।	755 755/2	11-17-00 11-16-00	बा0अ0 बा0अ0
योग		2	23-13-00	बा0अ0
3	नारायणसिंह लक्ष्मणसिंह किशनसिंह पि0 अनाइसिंह जगन्नाथकंवर पत्नि अनाइसिंह कौम-राजपूत, भैरूसिंह पुत्र जोगसिंह कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार। रहन-बदस्तूर रहेगा।	755/4 754	0-06-00 0-03-00	रास्ता गै.मु.बेरा
योग		2	0-09-00	

Scanned by CamScanner

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति० को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	—	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	—	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	03	—	महनताना वकील		
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	—	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	—	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	10	—	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner